5/8/20 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। संक्षेप में प्रकरण का विवरण निम्न है, कि वादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89. R.T. Act.1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके माल मौजा कान्दा तहसील रा० मण्डी में वाल आराजी नम्बर 259, 262, 265, 320, 323, 333 व 365 किता 7 रकबा 1.34 हे० पर वादी एवं प्रतिवादी० की जाति को गूजर के स्थान पर अहीर (यादव) अंकित कर दिया है, जिसे दुरुस्त किया जाकर गूजर दर्ज किया जावे, इत्यादि,

वाद वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
	को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति- वादी नम्बर 1 लगायत 6 श्री ओम प्रकाश परमानन्द अहीर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता वादी को दी जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया। चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा वाँछित अनुतोष को सहखातेदारान। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया, अत: प्रकरण में विवाद्यक बिन्दुओं का विरचन अपेक्षित नहीं है। साक्ष्य वादी ली गई। दौरान साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण वादी से जिरह नहीं करना चाहते। जिरह बंद की गई। अपने कथनों के समर्थन में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये। शपथ-पत्र साक्ष्यवादी प्रदर्श PW-1, नकल जमाबंदी ग्राम कान्दा सं० 2073-76 खाता नं० 91 प्रदर्श-1, नकल फर्द मिलान ग्राम कान्दा सन् 2004-2024, प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी ग्राम कान्दा सं० 2035 से 2038 खाता नं० 26 प्रदर्श-3, नकल	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नामान्तरकरण ग्राम काठड़ा नं. 118 दिनांक 30.5.89 प्रदर्श-4, नकल नामान्तरकरण ग्राम काठड़ा नं. 147 दि. 26.5.92 प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी ग्राम काठड़ा 2044-2047 खाता नं. 26 प्रदर्श-6. प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने से इन्कार किया लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 जाति से गूजर हैं, जिन्हें हालिया अभिलेख में अहीर (यादव) दर्ज कर दिया गया है, अतः पूर्वकालान की जाति दुरुस्त फरमाई जावे। बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा (इकबालिया) तथा वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर प्रकरण तथा अनुतोष के क्रम में सम्यक (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विधिक विचार किया गया। हस्ब प्रदर्श-3 एवं प्रदर्श 6 के अनुसार वादगत भूमि वाके माल मौजा कादरा के पूर्व खातेदार जमना एवं जगन्नाथ पुत्र दौला जी जाति गुजर अंकित है। प्रदर्श 4 एवं प्रदर्श-5 से वादगत भूमि के खातेदारान के बाद वफात खोले गये नामान्तरकरण है। प्रदर्श 2 से यह प्रमाणित होता है, कि वादगत भूमि साविक आराजी नम्बर १९६/॥)४, १९९/)४, २०१/३॥)३, २४९/॥)१, २५२/)४, २६२/॥)३, २९४/९।३ किता ७ रकबा [illegible]॥)२ के बाद बन्दोबस्त हालिया खसरा नम्बर २५९/०.११, २६२/०.०७, २६५/०.६३, ३२०/०.०९, ३२३/०.०७ व ३३३/०.१५, ३६५/०.२२ किता ७ रकबा १.३४ हे० पैमूद किये गये है। उक्त साविक आराजी के हालिया उक्त खसरा नंबर हस्ब प्रदर्श-1 वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 से 6 के नाम पर बतौर सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह जाहिर आता है, कि वादी एवं प्रतिवादी। ता. 6 को वादग्रस्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादी। ता 6 की जाति वही होगी जो प्रदर्श-3 एवं प्रदर्श-6 में अंकित खातेदार की जाति है।	
	प्रदर्श-1 में खातेदारान की जाति गूजर के स्थान पर अहीर (यादव) दर्ज कर दी है।	
	वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि (प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6,) एवं बहस विद्वान अधिवक्तागण से यह प्रतीत होता है, कि वादी की जाति "गूजर" थी, जिसे दौराने सेटलमेंट रिकार्ड में अहीर (यादव) दर्ज कर दी गई। इस प्रकार रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर आता है, कि भूलवश जाति अलग लिखी गई है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकारों की खाते की भूमि पर जाति शुद्ध कर गूजर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर मैं, वादीएवं वादग्रस्त भूमि के बकाया सहखातेदारान की जाति अहीर (यादव) के स्थान पर गूजर दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत मानते हुये इस आशय की घोषणा देता हूं, कि वाद वादी	
	(हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जो
	स्वीकार किया जाकर ग्राम फाण्डा की भूमि खसरा नम्बर 259, 262, 265, 320, 323, 333, 365 किता 7 रकबा 1.34 हेक्टर पर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 6 की जाति अहीर (यादव) के स्थान पर गूजर दर्ज की जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जावे। बाद तामील तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनाङ्क 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
21.9.20	पत्रावली वकील वादी के प्रा० पत्र 152 C.P.C. पर पेश। वकील वादी को सुना। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दि० 25.8.20 की प्रविष्टी "पर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 6" के स्थान पर "के खातेदार" पढ़ा जावे। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Judi Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [illegible]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

मुकाम— रामगंजमण्डी

इजलास— उपखण्ड अधिकारी
नाम— देशल दान (I.A.S.)
बनाम— प्रभू वगैरह मोड़ू

दावा बाबत— ~~88-89~~ R.T. Act 1955

मुकदमा नं.— 128 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करई रू-ब-रू— देशल दान (I.A.S.)
मिनजानिब मुद्दई व— श्री परमानंद अहीर एड.
वकील— श्री S.R. अहीर एड०
मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम काण्डा की भूमि खसरा नं० 259, 262, 265, 320, 323, 333, 365 किता 7 रकबा 1.3460 पर वादी एवं प्रति०1 लगायत 6 की जाति अहीर (यादव) के स्थान पर गुर्जर दर्ज की जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

बाबत— ×

बोझ— × मुबलिग— × फीसदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— × को अदा करे।

व तारीख वसूलयाबी तक— ×

आज तारीख 25 माह 08 2020 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के को जारी की गई।

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी
ओहदा— रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....	2	—
स्टाम्प वकालतनामा	....	1	—
स्टाम्प बअह सबूत	....		
महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....	21	—
मुतफर्रिक	....		
मीजान....		24	—

मुद्दायलाह		रुपया	पै.
		1	—
स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प अर्जी	....		
महनताना वकील पर	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफर्रिक	....		
मीजान ...		1	—

नोट:—इस खर्चे के कालम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. भी. 139-2006-1,00,000 फार्म